

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/23/1759

दिनांक: 17-2-2023


आदेश

श्रीमती रेखा भाटी सभापति, नगर परिषद् पाली को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 2(च) ()जांच/डीएलबी/2022/500 दिनांक 14.02.2023 द्वारा निलम्बित किया गया है। नगर परिषद् पाली में सभापति का पद महिला अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 (1) (i) (क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती नेतल मेवाडा सदस्य, वार्ड सं. 34 को सभापति के पद का कार्यभार आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश, जो भी पूर्व हो तक के लिए सभापति के पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।


यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(हमेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक: 17-2-2023

क्रमांक: प.8 (ड)(का.भा.)/डीएलबी/23/1760-1772
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महो०, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. जिला कलक्टर, पाली।
5. संभागीय आयुक्त, जोधपुर।
6. उपखण्ड अधिकारी पाली।
7. निदेशक लेखन एवं मुद्रण राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राज0 राजपत्र के असाधारण अंक के भाग 6 (क) के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
8. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग सचिवालय राज0 जयपुर।
9. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जोधपुर।
10. श्रीमती नेतल मेवाडा, अन्य पिछड़ा महिला सदस्य वार्ड सं० 34, नगर परिषद् पाली।
11. आयुक्त, नगर परिषद्, नगर परिषद् पाली
- ✓ 12. प्रोग्रामर (आई.टी.सेल) निदेशालय को अपलोड करने हेतु।
13. सुरक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी